RAJYA SABHA [8 December, 2004]

अगर शहरों को बचाना है तो गांवों में रोजगार पैदा करना पड़ेगा, गांव के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी गांव का विकास होगा, गांव की समृद्धि होगी और हिन्दुस्तान नम्बर एक मुल्क बन जाएगा।

श्री शाहिद सिद्दिकी: सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि खास तौर पर हमारा जो उत्तरी भारत है, वहां के रूरल एरियाज उत्तर प्रदेश, बिहार आदि को बहुत समय से नजरअंदाज किया गया है। यहां पर रूरल एरियाज की हालत बेहतर बनाने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम की जरूरत है। क्या आपने उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया है? क्या यहां की रूरल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और यहां पर रोजागार लाने के लिए कोई काम हो रहा है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, अभी तक जो कार्यक्रम चलाए जाने वाले हैं या चलाए जा रहे हैं, वे बता दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया है कि रीजनल डिस्पैरिटी जो क्षेत्रगत विषमताएं हैं, उन विषमताओं को दूर करने के प्रयत्न करने का भी प्रावधान है। सभापति महोदय, इसके लिए एक बैकवर्ड स्टेट कमीशन बन रहा है इसमें जो पिछड़े राज्य या पिछड़े इलाके हैं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने और विकास में आगे लाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे।

अर्जुन पुरस्कार हेतु चयन के मानदण्ड

*102. श्री पी॰ के॰ माहेश्वरी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्जुन पुरस्कारों के लिए चयन के मानदंड क्या हैं;

(ख) प्रतिवर्ष अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा के बाद विख्यात खिलाड़ियों द्वारा पुरस्कारों के चयन में बरती जाने वाली पारदर्शिता के संबंध में व्यक्त किए गए संदेहों के बारे में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पुरस्कार पाने से वंचित रह जाते हैं? *

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अर्जुन पुरस्कारों के योजना के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित पात्रता का मानदण्ड रखा गया है:

[8 December, 2004] RAJYA SABHA

'' पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता के लिए खिलाड़ी ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले तीन वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो बल्कि जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की गई है, उसमें उत्कृष्टता के साथ नेतृत्व, क्रीड़ा कौशल और अनुशासन की भावना संबंधी गुणों को भी दर्शाया हो।

तथापि, वे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला में अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के प्रयोग के लिए सकारात्मक पाये जाते हैं तो वे अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।

सरकार केवल निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली खेल विधाओं में अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का विचार रखती है:-

(क) ओलम्पिक खेल/एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल/विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप खेल विधाएं और क्रिकेट अथवा कौई समकक्ष मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट।

(ख) देशीय खेल।

(ग) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए खेल''।

(ख) और (ग) हाल ही में योजना को चयन समिति की सदस्यता का विस्तार करने तथा किसी विख्यात खिलाड़ी को इसका अध्यक्ष नियुक्त करने के उद्देश्य से दो बार (अप्रैल, 2002 तथा मार्च, 2004 में) संशोधित किया गया है।

(घ) चयन समिति पुरस्कारों का निर्णय योजना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार करती है जिसमें बताया गया है कि किसी भी कलेण्डर वर्ष में 15 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते तथा न ही किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक खेल विधा में एक से अधिक पुरस्कार दिये जा सकते हैं बशर्ते कि पात्र खिलाड़ी उपलब्ध हों।

Selection criteria for Arjuna Awards

†*102. SHRI P.K. MAHESHWARI: Will the Minister of YOUTHAFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) the criteria of selection of Arjuna Awards;

(b) the reaction of Ministry regarding doubts expressed by renowned sportspersons every year over the transparency adopted for the selection of awards;

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

(c) whether Government are taking any step to avoid such controversies; and

(d) whether it is a fact that despite showing good performance, some deserving sportspersons are deprived of Awards?

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SUNIL DUTT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Under the Scheme for the Arjuna Award for Outstanding Performance in the Sports and Games, the following eligibility criteria is laid down:—

"To be eligible for the Award, a sportsperson should have had not only good performance consistently for the previous three years at the International level with excellence for the year for which the Award is recommended but also should have shown qualities of leadership, sportsmanship and a sense of discipline.

However, sports persons found positive for use of drugs banned by the International Olympic Committee in any laboratory accredited by International Olympic Committee will not be eligible for Arjuna Award.

The Government only considers conferring Arjuna Award in the disciplines falling under following categories:—

- (a) Olympic Games/Asian Games/Commonwelath Games/World Cup/World Championship disciplines and cricket or any equivalent recognized international tournament.
- (b) Indigenous Games.
- (c) Sports for Physically challenged".

(b) and (c) Recently, the Scheme has been revised twice (April, 2002 & March, 2004) with a view to enlarge membership of the Selection Committee and appoint an eminent sportsperson as its Chairperson.

(d) The Selection Committee decides the Award according to the provision of the Scheme which lays down that not more than 15 awards can be given in any calender year and also that, oridinarily, not more than one Award can be given in each discipline in a particular year subject to deseving sports persons being available.

श्री पी॰ के॰ माहेश्वरी: सभापति जी, भारत सौ करोड़ से अधिक व्यक्तियों का देश है परंतु यहां स्वर्ण की कमी है। पिछले दशकों में ओलंपिक खेलों से हमें स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। उसका कारण केवल यह है कि यहां संसाधन को कमी है और प्रोत्साहन की कमी भी हमारे खिलाड़ियों के लिए होती है। जो अर्जुन अवार्ड मिलता है, उसमें केवल पंद्रह डिसिप्लीन में अवार्ड दिए जाते हैं, परंतु बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें अपने उत्कृष्ट परफोर्मेन्स के बाद भी यह अवार्ड नहीं मिलता है और उन्हें असंतोष होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जितनी शिकायतें इन अवार्ड्स के बारे में मिलती रहती हैं, अभी वे जो नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने ऐसा क्या प्रावधान रखा है, जिससे कि यह शिकायत न मिले और उचित अवार्ड्स मिलें?

श्री सुनील दत्त: सभापति जी, जहां तक अवार्ड्स का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि किसी भी डिसिप्लीन में, कहीं भी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या पद्मश्री अवार्ड्स हों, उसमें कहीं न कहीं यह अड़चन आती है कि कई लोग डिसअपोइन्ट होते हैं और कई लोग खुश होते हैं। जहां तक अर्जुन अवार्ड का ताल्लुक है, यह पूरी कोशिश की जा रही है कि इसमें ट्रांसपेरेन्सी हो, इसमें सच्चाई हो और इसके लिए हमने तीन तरह के लेयर्स रखे हैं। हम प्रांतों से, आई॰ओ॰ए॰ से और फेडरेशन से उन खिलाड़ियों का नाम मांगते हैं, जो डिजर्व करते हैं। इसके साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कितना नाम कमाया है, इसको भी सामने रखा जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न यह है कि पहले के क्राइटेरिया में और अब जो आप क्राइटेरिया बना रहे हैं, उसमें क्या अंतर है। जो आप बोल रहे हैं, यह तो पहले वाला ही है।

श्री सुनील दत्त: सभापति जी, हम इसे बना चुके हैं। अभी जो हमने 2003 के अवार्ड्स दिए हैं, वे हमने ये क्राइटेरिया सामने रखकर ही दिए हैं। मेरा ख्याल है कि वे सब इन्हें मालूम होंगे। अगर मालूम नहीं हैं तो मैं बता सकता हूं कि उसमें यह सारी इलिजिबिलिटी चाहिए, जो मैं अर्ज कर रहा था।

श्री पी॰ के॰ माहेश्वरी: सभापति महोदय जो पालिसी थी, उसी के तहत इतनी शिकायतें मिलती थीं। जब उसको बदलने की बात हो रही हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो 15 अवार्ड दिए जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि डिसिप्लिस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ-साथ जो रिकर्मेडिंग बॉडीज हैं, उनके ऊपर क्या अंकुश हमारे मंत्रालय का है, जिससे कि उनकी जो रिकर्मेडेशंस आएं, वे उचित हों?

श्री सुनील दत्त: सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी अर्ज किया है कि जो रिकमेंडेशंस आती हैं, उनके ऊपर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, वह पूरी जानकारी हासिल करती है कि सही रिकमेंडेशंस

13

आई हैं या नहीं। उसके बाद जो आखिरी कमेटी है, उसमें यह सब चीजें जाती हैं। खेल के मैदान में जिन लोगों ने बहुत नाम कमाया है, वे लोग उस कमेटी में होते हैं और दूसरे डिसिप्लिस के लोग भी उसमें होते हैं। जैसा हमारे माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अड़चन आए। इस बार भी हमने जो अवार्ड दिए हैं, वर्ष 2003 के लिए, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, through you, I want to know from the hon. Minister whether the Ministry has devised any scheme or plan to identify the medal probables for the ensuing Olympics in Beijing or the Commonwealth Games in Melbourne. I saw in todays newspaper that one young girl named Jyoshna Chinnappa has won the squash championship. Squash is expected to be included in the Beijing Olympics. Has any plan been devised by the Ministry to identify the medal probables and encourage them either monetarily or by giving them sufficient training?

SHRI SUNIL DUTT: Sir, this has always been the effort of the Government that anywhere, in any discipline, if some young boys or girls make a mark, they are being supported by the Government of India. If they belong to any federation, then the federation recommends their names for going abroad. Whenever they go abroad, we arrange for their travel to that country with tickets and their stay in that country. So, they are always supported by the Government. Anybody who wins an award from abroad, he is supported and promoted more so that he can win the gold medal, as the hon. Member has desired.

श्री एम॰ एस॰ गिल: सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी गाड़ी और मेरे साथी की गाड़ी सवाल और जवाब की गाड़ी, एक-दूसरे के पैरलल निकल रही है, न तो टकराव हो रहा है, न जवाब हो रहा है। उनका सवाल यह है कि अवार्ड है, सिस्टम है, कमेटी है लेकिन विश्वास नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि कंट्रोवर्सी तो होती है, फिल्मों में होती है, अवार्ड में होती है, यह बात नहीं है। हिंदुस्तान के अवार्ड में, स्पोर्ट्स के अवार्ड में, मैं अभी गोल्फ खेलकर आया हूं, मैंने बॉक्सिंग भी की है, मैं सारे खेल जानता हूं, मै आपसे जिक्र भी कर सकता हूं कि...

श्री सभापति: यहां मैं बॉक्सिंग एलाऊ नहीं करूंगा।

श्री एम॰ एस॰ गिल: मैं आपको बता सकता हूं कि माउंटेनियरिंग में, ओलंपिक में, दूसरे खेलों में, हॉकी में, कौन ओलंपियन थे और कौन अवार्ड ले गए। मेरे साथी और मैं इतनी अर्ज करते हैं कि इन अवार्ड की इंटेग्रिटी को आप मजबूत करिए। श्री सुनील दत्त: सभापति महोदय मुझे इस मंत्रालय में आए हुए केवल 6 महीने हुए हैं। बच्चा भी अगर पैदा करना हो तो 9 महीने लगते हैं। हमारे ऑनरेबल मेंबर इतने परेशान हो रहे हैं। आप मुझे कुछ मौका दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी जो 15 अर्जुन अवार्ड हमने दिए हैं, हमें कहीं से भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात कीजिए, आज के बाद क्या होगा, उसका मैं यकीन दिलाता हूं।

श्री सभापतिः आप इन पर थोड़ा विश्वास करिए।

Militant efforts to sneak into J&K

*103. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that militants in Pakistan Occupied Kashmir have recently stepped up their efforts to sneak into Jammu and Kashmir valley; and

(b) if so, how many infiltrators have actually been killed by the Armed Forces and how many of them have sneaked in Jammu and Kashmir during the last two months?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) There has been an overall decrease in the number of actual infiltrations from across the Line of Control (LoC) compared to last year. However, there was an increase in the infiltration attempts in November, 2004 by terrorists as compared to the months of September and October 2004.

(b) As per reports available, so far, during September and October 2004, 15 infiltrators have been killed during infiltration attempts into Jammu and Kashmir, while it is estimated that more than 30 may have sneaked in.

श्री अमर सिंह: सर, मेरा पहला सप्लीमेंटरी है कि कश्मीर का मामला देश की सम्प्रभुता और अखंडता से संदर्भित है और इस मामले में कोई स्थायी नीति बहुत आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में कहा है कि सितम्बर-अक्टूबर में हमले घट गए आतंकवादियों के, फिर नवंबर में बढ़ गए। इस बात की क्या गारंटी है कि फिर दिर्सबर-जनवरी में और नहीं बढ़ेंगे? यहां डाक्टर कर्ण सिंह जी भी बैठे हैं और हम यह चाहते हैं कि कश्मीर में कोई प्रयोग जो हो, स्थायी प्रयोग हो। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन प्रयोग चलता रहता है।